

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 38/2022

जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नं० 17, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू, मो०न०
8696973108

बनाम


लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 21.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 38/2022 पर दिनांक 31.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/263-64 दिनांक 31.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आरटीआई/2022/5 दिनांक 09.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी डॉ० जितेन्द्र सिंह निवासी सुलताना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1090 के संबंध में सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/93 दिनांक 24.01.2022 के द्वारा कार्यालय से सूचित किया गया है कि बिन्दू सं० 1, 2 व 6 की सूचना पंचायत से संबंधित है। बिन्दू सं० 3 की सूचना कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। बिन्दू सं० 4 की सूचना दी जा चुकी है। बिन्दू सं० 5 के क्रम में कार्यवाही जैरकार है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2022/5 दिनांक 09.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी डॉ० जितेन्द्र सिंह निवासी सुलताना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2021 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1090 के संबंध में सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/93 दिनांक 24.01.2022 के द्वारा कार्यालय से सूचित किया गया है कि बिन्दू सं० 1, 2 व 6 की सूचना पंचायत से संबंधित है। बिन्दू सं० 3 की सूचना कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। बिन्दू सं० 4 की सूचना दी जा चुकी है। बिन्दू सं० 5 के क्रम में कार्यवाही जैरकार है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल.एस. कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनू